

न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी

कटूमर जिला अलवर

दिसास नं. 2/8/2021

तारीख नं.

सियाराम

बनाम

धिरजी वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.04.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की टाईड में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 632 634, 637, 610, 631, 633, 635, 630, 654, 655, वाके ग्राम कांटवाडी तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 06.07.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 06.07.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	
6-7-21	<p>हुनाब करारकन ४५०/P.O. गहर - २०/७/२१ पत्रावली दिनांक 27/7/21 जो पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर कटूमर (अलवर)</p>
11.8.2021	<p>पत्रावली काज मूल वादके साथ पेश हुई वकील जली ने जर्नल - पत्र पेश किया कह अपने मूल वाद को खारिज कर लिया है अतः जर्नल - पत्र अदालत चलाये जाने के अर्थ में कौनसा नहीं है अतः जर्नल पत्र अदालत में खारिज किया जाता है। पत्रावली को मूल मुद्दा हेतु मजबूत के मूल वाद वकील मूल वाद के साथ सौंपने रहे 11/8/21</p>	<p>हुनाब सियाराम हुनाब</p>